

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-1860/सीईओ-4-70/4-2017 दिनांकित 25 अगस्त 2017 एवं उसके साथ संलग्नक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER2017(Vol.II दिनांकित 23 अगस्त 2017 में प्राप्त निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 01-01-2018 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम निम्नवत निर्धारित किया गया है :-

पुनरीक्षण कार्यक्रम

कम सं०	विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की विभिन्न गतिविधियां	आयोग द्वारा निर्धारित तिथियां
1	2	3
1	निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन	15 सितम्बर 2017 (शुक्रवार)
2	दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि (परिवर्धन, अपमार्जन, शुद्धि तथा किसी प्रविष्टि को बूथ से दूसरे बूथ में ले जाने के लिए)	15 सितम्बर 2017 (शुक्रवार) से 30 अक्टूबर 2017 (सोमवार)
3	फोटो निर्वाचक नामावलियों के संबंधित भाग/अनुभाग को ग्रामसभा/स्थानीय निकायों और रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठकों में पढ़ा जाना तथा प्रविष्टियों का सत्यापन	16 सितम्बर 2017 (शनिवार), 03 अक्टूबर 2017 (मंगलवार), और 24 अक्टूबर 2017 (मंगलवार)
4	राजनैतिक दलों के बूथ लेबिल एजेन्ट्स के साथ दावे और आपत्तियां प्राप्त करने हेतु विशेष अभियान की तिथियां	17 सितम्बर 2017 (रविवार), 08 अक्टूबर 2017 (रविवार), और 29 अक्टूबर 2017 (रविवार)
5	दावे और आपत्तियों का निस्तारण	By 04 दिसम्बर 2017 (सोमवार)
6	Updating the database, merging of photographs, updating the control tables and preparation and printing of supplementary list by	04 दिसम्बर 2017 (सोमवार) से 26 दिसम्बर 2017 (मंगलवार)
7	निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन	02 जनवरी, 2018 (मंगलवार)

उक्त निर्धारित कार्यक्रमानुसार विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 15-09-2017 को एवं अन्तिम प्रकाशन दिनांक 02-01-2018 को किया जाना है तथा विशेष अभियान की तिथियां 17 सितम्बर 2017, 08 अक्टूबर 2017 एवं 29 अक्टूबर 2017 निर्धारित हैं।

(आर०के०सिंह)

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
जालौन स्थान उरई

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, जालौन स्थान उरई

पत्रांक- 1599/उन्तीस-2017-18/पुनरीक्षण

दिनांक 30 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

- 1-जिलाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2-मा० अध्यक्ष / मन्त्री, समस्त मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल, जनपद जालौन के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3-मुख्य विकास अधिकारी, जनपद जालौन को इस आशय से कि इस प्रेस विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के सूचना-पट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
- 4-समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद जालौन को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
- 5-समस्त तहसीलदार, जनपद जालौन को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
- 6-समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद जालौन को इस आशय से कि वे इसे अपने अपने सूचना-पट पर प्रदर्शित कर प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
- 7-DIO NIC जालौन को इस आशय से कि इस प्रेस विज्ञप्ति को जिले की वेबसाइट में DEO Portal पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 8-जिला सूचना अधिकारी, जालौन स्थान उरई को 10 अतिरिक्त छायाप्रतियों सहित इस निर्देश के साथ कि इस प्रेस विज्ञप्ति को समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।



(आर०के०सिंह)

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
जालौन स्थान उरई